न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 98 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सुमार पुत्र दीनू जाति मुसलमान, निवासी आंतरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अमीन पुत्र गफुर 2. अहमद पुत्र गफुर 3. निहाल पुत्र गफुर 4. फतन पुत्र गफुर 5. बिलाई पत्नी गफुर 6. सकुर पुत्र गफुर जाति मुसलमान, निवासी आंतरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा शिव 8. तहसीलदार शिव

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री बालाराम गोदारा।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.01.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल स्वामी का गांव के ग्राम स्वामी का गांव के खेत खसरा नम्बर 115, 125 रकबा क्रमशः 14.8924, 0.2833 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अमीन, निहाल, अहमद, फतन, सकूर पि. गफूर, बिलाई पत्नी गफूर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	स्वामी का गांव	115	7.4462	बा.सो.	–	पीला
			125	0.1416	बा.सो.	–	
			2	7.5878			
2	सुमार पि. दीनु जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	स्वामी का गांव	115	7.4462	बा.सो.	–	केसरिया
			125	0.1417	बा.सो.	–	
			2	7.5879			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने [illegible] विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से [illegible] होंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:35:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव (बाड़मेर)